पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एस–2 'ए' ब्लाक, एनएएससी काम्पलेक्स, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गांव के सामने
नई दिल्ली–110012

पादप जीनोम सरंक्षक समुदाय पुरस्कार' के लिए आवेदन पत्र

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 45 एवं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2003 की धारा 70(2)(ए) के अधीन विशेषकर कृषि–जैवविविधता के विशेष स्थलों या हॉट–स्पॉट्स के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में चयन और संररक्षण के माध्यम से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के अनुवंशिक संसाधनों और उन पौधों के वन्य संबधियों के संरक्षण में रत कृषक समुदायों के लिए आवेदन प्ररूप।

वर्ष _____

1.	आवेदक /समुदाय का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	डाक पता (पत्राचार के लिए) ब्लाक ग्राम डाकघर जिला राज्य पिन दूरभाष (यदि कोई हो)	
3.	आवेदक का स्तर (समुदाय/संगठन आधारित कृषक समुदाय)	
4.	वह कृषि जैवविविधता वाला हॉट–स्पॉट्स क्षेत्र जहां का समुदाय/आवेदक है (कृपया सूची देखें)	
5.	संरक्षण स्थल (लों) की स्थिति (यां)	
6.	वह पौधे/फसल (लें) जिनके संरक्षण के प्रयास किए गए है	
7.	कितनी किस्में (कृषक किस्में/आर्थिक महत्व के पौधे, वन्य संबंधी और अन्य आनुवांशिक संसाधन भी सम्मिलित हैं) संरक्षित की गई है (पौधा/फसल वार विवरण दें)	
8.	आवेदक ने कितने क्षेत्र में संरक्षित किस्मों की रोपाई / खेती की है। (विवरण दें)	
9.	क्या सस्यविज्ञानी प्रथाओं/भंडारण तकनीकों जैसी संरक्षण की कोई नई विधि विकसित की गई/अपनाई गई है ? (विवरण दें)	
10.	उन किस्मों से संबधित सूचना दें (यदि उपलब्ध हों तो) जिनकी अन्य लोगों/संस्थानों के साथ साझेदारी की गई है	

11.	संरक्षित किस्म/किस्मों में कौन सा विशेष गुण पहचाना गया (किस्म वार विवरण दें)	
12.	उस संगठन का नाम बतायें, यदि कोई हो तो, जिसने संरक्षित किस्मों में किसी उपयोगी गुण की पहचान की है।	
13.	क्या किस्म (मों) की जैव–विविधता प्रबंधन समिति द्वारा रखे जा रहे जन–जैवविविधता रजिस्टर में प्रविष्टि की गई है ?	
14.	क्या कृषक समुदाय को किसी अनय संगठन द्वारा उसके संरक्षण प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया है या मानयता प्रदान की गर्अ है (विवरण दें)	
15.	किए गए दावे से परिचित एजेंसियों के नाम (सरकारी अथवा स्वंय सेवी संगठन) बताएँ	
16.	पुरस्कार की राशि के उपयोग हेतु प्रस्तावित कार्य योजना की एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करें (15–20 पंक्तियों में)	

टिप्पण :1. आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।

2. कृषक समुदाय के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नही है।
3. किसी भी कॉलम के संबध में विवरण/अधिसूचना देने के लिए अनुबंध के रूप में अतिरिक्त पृष्ठ जोड़े जा सकते है।
4. पुरस्कार के संबध में कोई भी स्पष्टीकरण पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण से प्राप्त किया जा सकता है।

अनुबंध–2

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

एस–2 'ए' ब्लाक, एनएएससी काम्पलेक्स, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गांव के सामने

नई दिल्ली–110012

घोषणा

(उस समुदाय/संगठन/पंजीकृत सोसायटी से अनौपचारिक स्वीकृति के रूप में संलग्न किया जाना है जो उस समाज का प्रतिनिधित्व करती है जिसने संसाधन का संरक्षण किया है, उसमें सुधार किया है उसे परिरक्षित किया है या उसकी साझेदारी की है।)

उस व्यक्ति का नाम और पता/दूरभाष सं./ई–मेल जिसके साथ रजिस्ट्रार पीपीवी और एफआरए पत्राचार कर सकता हैः

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) _____

कृषि जैवविविधता का हॉट–स्पॉट (सूची के अनुसार) _____

डाक का पता (पत्र व्यवहार के लिए) _____

ब्लाक _____

गांव _____

डाकघर _____

जिला _____

राज्य _____

पिन _____

दूरभाष (यदि कोई हो) _____

यदि प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आनुवंशिक सामग्री (यों) का संरक्षण, सुधार, परिरक्षण और उनकी खेती उस आवेदक(कों)/कृषक समुदाय (यों) द्वारा किया गया है जो उपरोक्त गांव (वों) के स्थायी निवासी हैं तथा मैं/हम आवेदक कृषकों/समूह अथवा कृषक समुदाय तथा प्रत्याशी किस्म/किस्मों से भली भांति परिचित हूं/है। आवेदन में दी गई सूचना/जहां तक मेरा विश्वास, मेरे पास उपलब्ध सूचना और ज्ञान का संबंध है, पूरी तरह सही है (विकल्पों में दिए गए वे शब्द जो लागू न हों, कृपया काट दें)।

हस्ताक्षर

(कृषक समुदाय का/के प्रतिनिधि)

राजपत्रित अधिकारी/पंचायत/पंजीकृत संगठन द्वारा सत्यापित

(संबधित पंचायत जैव–विविधता प्रबंध समिति का अध्यक्ष/सचिव अथवा संबधित जिला कृषि अधिकारी अथवा संबधित राज्य कृषि विश्वविद्यालय का अनुसंधान निदेशक अथवा संबधित जिला जनजाति विकास अधिकारी) (मोहर, तिथि सहित हस्ताक्षर)

अनुबंध–3

भारत के कृषि–जैवविविधता वाले हॉट स्वॉट्स

क्र.सं.	हॉटस्पॉट क्षेत्र	क्षेत्र
1	शीत मरूस्थल	लद्दाख तथा कारगिल के पश्चिमी हिमालय। हिमालय प्रदेश के लाहौल–स्पिति जिले के ऊपरी भाग
2	पश्चिमी हिमालय	जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर, रियासी, काठुआ; जिले, शीत शुष्क क्षेत्र के अतिरिक्त हिमालय प्रदेश के सभी जिले तथा उत्तराखंड के सभी जिले।
3	पूर्वी हिमालय	अरूणाचल प्रदेश के सभी जिले, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला।
4	ब्रह्मपुत्र घाटी	धुबरी, कोकराझर, बोंगईगांव, बरपेटा, नालबरी, गोलपारा, कामरूप, गोलाघाट, दरांग, मोरीगांव, नॉगांव, सोनितपुर, जोरहाट, लखीमपुर, सिबसागर, डिबरूगढ़, धेमाजी तथा तिन्सुकिया।
5	खसिया–जैंतिया–गारों पहाड़ियां	मेघालय के सभी सात जिले, अर्थात पूर्वी गारो पहाड़ी, पश्चिमी गारो पहाड़ी, दक्षिण गारो पहाड़ी, पूर्वी खासी पहाड़ी, पश्चिमी खासी पहाड़ी, जैंतिया पहाड़ी तथा राई–भाई।
6	उत्तर–पूर्वी पहाड़ियां	मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा के सभी जिले तथा असम के कछार तथा उत्तरी कछार जिले।
7	शुष्क पश्चिमी क्षेत्र	राजस्थान के सीकर, नागौर, पाली, हनुमानगढ़, गंगानगर, जालोर, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर तथा बीकानेर के भाग; उदयपुर, डुंगरपुर, चुरू तथा झुंझुंनू जिले।
8	मलवा पठार तथा मध्य उच्च क्षेत्र	मलवा पठार तथा मध्य उच्च क्षेत्र, मेवाड़ पठार तथा दक्षिण–पूर्वी राजस्थान के अर्ध–शुष्क क्षेत्र; शहडोल, राइसेन भोपाल, सिहोर, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, राजगढ़, हौशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, मांडला, उमेरिया जिले।
9	काठियावाड़	गुजरात के अहमदाबाद, सुरेन्द्रनगर, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, भड़ौच, सूरत, नवसारी, वलसाड, बनासकांठा और आनंन्द जिले।
10	बुंदेलखंड	उत्तर प्रदेश में झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन एवं ललितपुर जिले तथा मध्य प्रदेश में दमोह, दतिया, पन्ना, सागर, टीकमगढ़ तथा छत्तरपुर जिले।
11	गंगा के ऊपरी मैदान	मध्य उत्तर प्रदेश में हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, राय बरेली, कानपुर, कन्नौज जिले; तथा उत्तर–पूर्वी उत्तर प्रदेशमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती जिले।
12	गंगा के निचले मैदान	उत्तरी बिहार में पश्चिम चम्पारन, पूर्बी चम्पारन, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारन, बक्सर, भोजपुर, पटना, रोहतास, जहानाबाद, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, श्योहर जिले।
13	गंगा के डेल्टा	मोटे तौर पर इसमें शमिल हैः डेल्टा वाले 24–परगना जिले तथा हूगली, हाबाड़ा, नाडिया, बर्धमान, बीरभूम तथा मयूरभंज जिले।
14	छोटानागपुर	झारखंड में सिंघभूम, गुमला, रांची, लोहारडगा, पलामू, हजारीबाग तथा सांथल परगना और उड़ीसा में मयूरभंज जिला
15	बस्तर	छतीसगढ़ के बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, जैशपुर, कबीरधाम, कांकेर, किर्बा, कोरिया, महासमुंद, कोन्डागांव तथा राजनंदगांव जिले।
16	कोरापुट	उड़ीसा के माल्कनगिरि, सोनाबेड़ा, जयपोर, कोरापुट, नबरंगपुर, कालाहांडी, बोलंगीर, रायागादा जिले तथा उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश के जिले अर्थात् श्रीकाकुलम, विजयानगरम तथा विशाखापटनम।
17	दक्षिण पूर्व घाट	आंध्र प्रदेश में चितूर, अनंतपुर, कड्प्पा तथा कुरनूल जिले एवं कर्नाटक में बैलारी, रायचुर तथा कोलार जिले।
18	कावेरी	चेंगलपुट, दक्षिण आर्कोट, उत्तरी आर्कोट, तिरूवनंतमलई, तिरूचिरापल्ली, पुदुकोट्टई, तिरूपरूर, वेल्लोर, कांचीपुरम, धर्मापुरी, सेलम, नमक्कल, करूर तथा डिंड़ीगल जिले।

19	दक्कन	महाराष्ट्र में जालना, हिंगोली, परभनी, बीड, नांदेड़, लातुर, ओस्मानाबाद, सोलापुर, सांग्ली, गोंडिया, गडचिरोली जिले;आंध्र प्रदेश में अदिलाबाद, करीमनगर, वांरगल तथा खम्मल जिले तथा कर्नाटक में बीदर तथा गुलबर्गा जिले।
20	कोंकण	महाराष्ट्र के थाणे, रायगड, रत्नगिरी, सिंधदुर्ग, सहाद्रि के तटीय जिले, पुणे का कुछ भाग और सतारा तथा कोल्हापुर; गोआ के सभी जिले तथा कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ जिला।
21	मलाबार	केरल के कैसरगोडख कन्नूर, वयानादख कोजीकोडे, मालप्पुरमख पालकाड, त्रिचुरख इडुक्की, एर्नाकुलम, एलापुजा, कोल्लम, कोट्टयम, पाथनमथिट्टा एवं तिरूवनंतपुरम जिले; तमिल नाडु के उधगमंडलम (नीलगिरि) एवं कन्याकुमारी जिले तथा कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़, कोडागु तथा उडुपि जिले।
22	द्वीप समूह	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप